

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1145 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Neeraj Choudhary

...Applicant

Versus

State of Rajasthan & Ors.

...Respondents

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
01.	ADDITIONAL REPLY FILED BY THE RESPONDENTS NO.1 TO 3 IN PERSUANCE TO THE ORDER DATED 08.12.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.	1-17
02.	<u>ANNEXURE A1:</u> A true copy of River map.	18-19
03.	<u>ANNEXURE A2:</u> A true copy of Goggle Earth Image Feb 2022 with no marble in the mining lease area	-20-
04.	<u>ANNEXURE A3:</u> A true copy of Goggle Earth Image Dec 2022 with no marble in the mining lease area	-21-
05.	<u>ANNEXURE A4:</u> A true copy of letter dated 05.12.2025 sent by Station House Officer, Police station Kekri Sadar, District Ajmer	22-24
06.	<u>ANNEXURE A5:</u> A true copy of inspection report dated 06.12.2025 prepared by Mining Engineer	25-45
07.	<u>ANNEXURE A6:</u> A true copy of on-the-spot report dated 03.09.2025 Add Mining Engineer, Sawar-Ajmer	46-47
08.	<u>ANNEXURE A7:</u> A true copy of Spot report dated 10.12.2025 Sr Mining Engineer, Sawar-Ajmer	-48-

09.	<u>ANNEXURE A8:</u> A true copy of on-the-Spot report dated 13.12.2025 by the State level Committee	49-53
10.	<u>ANNEXURE A9:</u> A true copy of images taken at the spot of inspection on 13.12.2025 in front of State Level Committee	54-57
11.	<u>ANNEXURE A10:</u> A pen drive containing the drone video of the mining lease area as recorded at the time of inspection	-58-
12.	<u>ANNEXURE A11:</u> A True copy of drone survey report dated 13.12.2025 conducted in front of the State level committee of the various state department	-59-
13.	<u>ANNEXURE A12:</u> A True copy of drone survey report dated 13.12.2025 conducted in front of the State level committee of the various state department	-60-

FILED BY:



(SHIV MANGAL SHARMA) & (SAURABH RAJPAL)

(ADVOCATES FOR RESPONDENT NO.1-3 STATE OF RAJASTHAN)

OFFICE:-D-291, 2ND 3 RD FLOOR,

DEFENCE COLONY

NEW DELHI-110024

PLACE: NEW DELHI

DATE:18.12.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1145 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Neeraj Choudhary ...Applicant

Versus

State of Rajasthan & Ors. ...Respondents

ADDITIONAL RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENTS NO.1 TO 3

PURSUANT TO THE ORDER DATED 08.12.2025 PASSED BY THIS

HON'BLE TRIBUNAL

1. That the answering Respondent is represented through the Officer-in-Charge duly appointed on behalf of the State Government in the present matter. The answering Respondent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case.
2. The present Additional Response is being filed on behalf of Respondent No. 1 to 3 pursuant to the order dated 08.12.2025 passed in the present Original Application so as to answer the query raised by the Hon'ble Tribunal for the proper adjudication of the present matter:

"2. Learned counsel for respondent no. 7 has pointed out that in its report, the Joint Committee had referred to the satellite images (Photo No.14 and 15) page no. 27 of the paper book which show that the obstruction in the mining leased area of River Khari near Village Gulgaon was visible in satellite image dated 11.10.2022. This fact prima facie points out failure of the concerned State Authorities in

taking requisite action for removal of the obstruction caused to the course of the river. The photographs filed with the reply do not show complete factual position regarding removal of the obstruction. Respondent no.7 has claimed to have removed the boulders causing the obstruction to the course of the river but respondent no. 7 has not mentioned the requisite details regarding final disposal of the boulders. FIR is stated to have been registered regarding obstruction caused to the river but outcome of the investigation is also not disclosed by respondents no. 2 and 3 in their reply.

3. Learned counsels for respondents no. 1, 2 and 3 and 7 respectively seek time to file additional responses addressing above aspects”.

3. That the Khari River originates from the hills near Bijral Village in the northern part of Rajsamand District and flows through the districts of Rajsamand, Bhilwara and Ajmer, before ultimately joining the Banas River near Deoli, District Tonk. The river catchment area primarily comprises feldspar, mica and granite-based geological formations, along with sand and ordinary soil deposits.

A true copy of River map is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A1**.

4. The total lease area involved in the present matter admeasures 1025.70 hectares, extending over a length of approximately 44.69 kilometres, and is geographically located at Latitude 25.820912° and Longitude 75.204696° situated on River Khari near Village Gulgaon, District Ajmer.

STEPS TAKEN BY THE STATE PURSUANT TO THE FINDINGS
REGARDING OBSTRUCTION IN THE FLOW OF RIVER

5. It is submitted that the Joint Committee, while referring to Google imagery, observed that in the image dated 21.02.2022, stones/rocks were not visible in the riverbed; however, in the image dated 11.10.2022, the stones were visible. It was further noted that the latest Google image available is of December 2022, and no subsequent or updated Google imagery is available.

A true copy of Goggle Earth Image Feb 2022 with no marble in the mining lease area is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A2**.

A true copy of Goggle Earth Image Dec 2022 with no marble in the mining lease area is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A3**.

6. The mining lease agreement was executed on 29.03.2023, and registration took place on 31.03.2023. Thus, the mining lease became effective on 31.03.2023 and thereafter the project Proponent took charge of the said lease area. As per the Joint Committee's Report dated 18.01.2025, the Stones were found on the lease are which were blocking the natural flow of water however as per the google image, the said stone were visible on the lease area during the period when the said mining lease was not issued to the project proponent.
7. It is submitted that the lease area is having a stretch of approximately 44.69 kilometres and no compliant was ever made by any of the person with

regard to the obstruction in the flow of water and it is after the joint committee's report, it came to the knowledge of answering Respondent. It is further submitted that under the provisions of the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017, a mining leaseholder is required to strictly comply with the terms and conditions of the lease and is authorized only to carry out lawful mining operations. Any violation of the lease conditions, including dumping of debris or other materials in the mining lease area, is punishable under Section 13 read with Schedule IV of the RMMCR, 2017.

8. That thereafter, the Mining Engineer vide letter dated 08.01.2025 directed the mining lessee (project proponent) to remove the debris/blocks/ stones. As per the directions, Project Proponent removed the debris/stones/ block in August 2025 and further informed that an FIR has been lodged by the Project Proponent against the persons who were involved in placing the said rocks. It was also informed to the answering Respondent that the RSPCB has also initiated action against the project proponent with regard to the findings made by the Joint Committee.
9. That after lodging of the aforesaid FIR by the project proponent, it has come out during the investigation that the stones observed at the site were manually placed by local villagers as a temporary measure to make a road to cross the river from one side to other side and the investigation qua the person involved in placing the stone is still pending.

A true copy of letter dated 05.12.2025 sent by Station House Officer, Police station Kekri Sadar, District Ajmer is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A4.**

10. That further in order to bring clarity with regard to the compliances made by the project Proponent, the answering Respondents had conducted an inspection at the mining lease area on 06.12.2025 and it was observed that there is no mining operation is going at present, Pillars were placed at the mining lease area, Weighbridges, CCTVs cameras were placed at designated Transit pass and even no debris were found in the lease area obstructing the flow of river.

A true copy of inspection report dated 06.12.2025 prepared by Mining Engineer is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A5.**

11. That pursuant to the issues raised by this Hon'ble Tribunal vide order dated 08.12.2025, a State Level Committee was constituted comprising of officials from various departments, including Revenue department, Police department, RSPCB, Department of mines and Geology and Water Resource department on 10.12.2025. The said committee visited the mining lease area granted to Mr. Bharat Singh Shekhawat (Respondent No.7) on 13.12.2025.

12. That further during the inspection conducted by the aforesaid State Level Committee on 13.12.2025 along with the Applicant i.e., Neeraj Chaudhary, it was found that the stones had already been removed from the riverbed.

This position stood corroborated by an earlier spot report dated 03.09.2025 submitted by the technical personnel of the Office of the Assistant Mining Engineer, Sawar, which confirmed that the stones had been removed from the riverbed. Further, the report of the Station House Officer, Kekdi Sadar Police Station, dated 05.12.2025, categorically confirmed that no debris was present at the site and that the water flow in the river was open and unobstructed. Additionally, on 10.12.2025, the technical staff of the Office of the Assistant Mining Engineer, Sawar, along with the local Patwari, conducted a joint inspection and submitted a spot report wherein it was specifically recorded that no obstruction existed in the river area and that the stones removed from the river had been collected at Siway Chak (government land), bearing Khasra No. 3331/2102, which was taken into possession by the Government. The inspection report dated 13.12.2025 was also signed by the Applicant stating that he is satisfied with the inspection.

A true copy of on the spot report dated 03.09.2025 Add Mining Engineer, Sawar-Ajmer is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A6**.

A true copy of Spot report dated 10.12.2025 Sr Mining Engineer, Sawar-Ajmer is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A7**.

A true copy of on the Spot report dated 13.12.2025 by the State level Committee is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A8**.

A true copy of images taken at the spot of inspection on 13.12.2025 in front of State Level Committee is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A9**.

13. The State Level Committee comprising of various department constituted on 13.12.2025 to address the issues raised by this Hon'ble Tribunal, also recorded a drone video during the course of the inspection which depicts that the river is free from any obstruction. A pen drive containing the drone video of the mining lease area as recorded at the time of inspection is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A10**.

A True copy of drone survey report dated 13.12.2025 conducted in front of the State level committee of the various state department is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A11**.

14. Pursuant to the observation made by the state level committee, the Tehsildar, Kekri, vide letter dated 13.12.2025, initiated proceedings regarding removal of stones/debris from lease area in question (i.e. Mining Patta No. 5/2023 granted to Shri Bharat Singh Shekhawat in Tehsil Kekri, District Ajmer) and dumping the same on the government land bearing Khasra No. 3331/2102. The inspection conducted by the Land Inspector and the concerned Patwari reported encroachment of 0.07 hectares of government land bearing Khasra No. 3331/2102 due to placement of stones/debris which were removed from the lease area by the project proponent. Accordingly, a notice was issued to the lessee seeking an

explanation regarding the removal and dumping of stones from the Khari River and calling upon him to show cause as to why legal action should not be taken, with a stipulated response period of three days, failing which action would be taken in accordance with law.

A true copy of letter dated 13.12.2025 issued by the Tehsildar Kekdi, District Ajmer to mining Lessee is annexed hereto and marked as **ANNEXURE A12.**

15. It is respectfully submitted that, as per the procedure followed by the Water Resources Department, upon receipt of any complaint, petition, or information regarding encroachment/obstruction in any water source or river, necessary action is taken jointly with the Revenue Department for removal of such encroachment. In the present case, as recorded in the spot report dated 12.12.2025 submitted by the Junior Engineer of the Water Resources Department, no obstruction of any nature was found in the river or in the water catchment area. Further, during the inspection conducted on 13.12.2025 by the Joint Committee, no obstruction was found in the river flow area and the flow of river water was observed to be free and unobstructed. It is further submitted that owing to excessive rainfall during the current year, the river experienced high-velocity flow, as a result of which most of the pits in the riverbed have been naturally filled, and consequently, no obstruction is presently visible in the river.

16. It is respectfully submitted that the Department of Mines and Geology has taken continuous and effective action to curb illegal mining activities in the area. The Mineral Department issued warning letters to the mining lessee on 08.01.2025, 27.02.2025, 21.04.2025, and 14.08.2025 on the basis of findings of the Joint Committee and departmental assessments. Further, the mining lease area was inspected on 25.02.2025, 23.06.2025, 30.06.2025, 03.09.2025, and 06.12.2025 to ensure compliance with statutory conditions. Additionally, a joint check-post comprising officials from the Police, Revenue, and Mines Departments was established on 20.02.2025 near the river site to prevent illegal mining, transportation, and storage of mineral gravel.

17. It is further submitted that the Rajasthan State Pollution Control Board, Kishangarh, also initiated proceedings against the mining lessee for environmental violations. A show-cause notice dated 04.04.2025 was issued to the lessee proposing cancellation of the Consent to Operate (CTO). The reply submitted by the lessee on 14.04.2025 was examined and found to be unsatisfactory, whereafter a further show-cause notice dated 22.08.2025 was issued proposing imposition of environmental compensation. As the subsequent reply dated 28.08.2025 was also found unsatisfactory, the Rajasthan Pollution Control Board has imposed environmental compensation amounting to ₹43.68 lakh vide order dated 03.10.2025, which has not been deposited by the lessee till date.

**BRIEF BACKGROUND QUA THE GRANT OF LEASE IN
QUESTION**

18. The State of Rajasthan issued a Letter of Intent (LoI) dated 20.03.2013 for the allotment of 1025.70 hectares of bajri mining lease in favour of Shri Bharat Singh.
19. Thereafter, the State Government granted a Temporary Work Permit (TWP) for mining of bajri in the said lease area for the period 29.12.2013 to 28.02.2014, which was subsequently extended up to 31.03.2014 in terms of the order dated 27.03.2014 passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 34811 of 2013.
20. Pursuant thereto, the Letter of Intent holder carried out mining operations from 29.12.2013 to 31.10.2014, and thereafter voluntarily discontinued the mining activities with effect from 01.11.2014.
21. Subsequently, the State of Rajasthan, vide Government Order dated 15.09.2017, cancelled the Letter of Intent and Temporary Work Permit, alleging violation of the terms and conditions of the Temporary Work Permit.
22. It is further submitted that by order dated 16.11.2017, passed by the Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal (Civil) No. 34811 of 2013 titled as **Naveen Sharma vs. State of Rajasthan & Ors.**, mining activities in all 82 mining leases/Temporary Work Permit areas relating to

mineral bajri in the State of Rajasthan were directed to be stopped with immediate effect.

23. Thereafter, the Hon'ble Supreme Court, in SLP No. 10587 of 2019 titled as *Bajri Lease LoI Holders Society vs. State of Rajasthan & Ors.*, vide order dated 11.11.2021, *inter-alia* directing the implementation of the recommendations of the Central Empowered Committee (CEC), except those mentioned at point "J" of the report dated 23.12.2020.
24. That aggrieved by the cancellation of the Letter of Intent and Temporary Work Permit, the LoI holder preferred Special Appeal No. 419/2018 before the Hon'ble High Court of Judicature for Rajasthan at Jaipur. The Hon'ble High Court, vide judgment dated 07.05.2022, directed the State Government to take an appropriate decision within a period of three months, keeping in view the amendment to Rule 5(4) and the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 11.11.2021. The said judgment attained finality, as the State Government did not assail the same.
25. Pursuant thereto, the Directorate, vide letter dated 05.07.2022, placed the complete factual and legal position before the State Government and sought appropriate examination of the matter and issuance of necessary directions at the Government level.
26. In compliance thereof, the State Government, vide letter No. P.10(23) Khan/Group-2/2012 dated 14.10.2022, set aside the rejection orders and

restored the Letter of Intent. The Government further directed that action be taken in accordance with the third option under Para 231/N, by considering the period of actual mining of mineral *bajri* and adjusting the remaining lease period, as per the instructions contained in point “F” of the Hon’ble Supreme Court’s order dated 11.11.2021.

27. Pursuant to the aforesaid decision, the Directorate, vide letter No. 1778 dated 17.10.2022, directed submission of the requisite proposal. Consequently, it was decided to restore the Letter of Intent by treating the period from 02.11.2014 to 28.12.2018 as a die-non period, in accordance with the directions of the Hon’ble Supreme Court.

28. In furtherance thereof, as per the Directorate’s proposal dated 27.03.2023, possession of the lease area was taken on 29.03.2023, after duly accounting for the die-non period of 4 years, 01 month and 26 days, in favour of Shri Bharat Singh. Accordingly, the State Government, vide letter No. P.7(19) Khan/Group-2/2013 dated 29.03.2023, approved the mining lease by restoring the Letter of Intent for the remaining period of 4 years, 01 month and 26 days from the date of taking over possession. In pursuance thereof, the mining contract was executed on 30.03.2023 and duly registered on 31.03.2023.

29. It is submitted that the mining lease bearing No. 5/2013, in favour of Shri Bharat Singh Shekhawat, became effective from 31.03.2023 and remains

valid up to 25.05.2027, in accordance with the Government Order dated 29.03.2023.

30. It is further submitted that the lessee obtained Environmental Clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, on 03.02.2022, which was duly submitted to the competent authority.

31. Thereafter, the lessee obtained Consent to Operate from the Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur, initially for the period 19.04.2023 to 29.03.2024, and subsequently renewed the same vide order dated 07.02.2024 for the period 07.02.2024 to 25.05.2027, which are presently valid and subsisting.

32. That thereafter the Hon'ble Tribunal took cognizance of the present matter on the basis of a letter petition dated 27.01.2024 submitted by Shri Neeraj Choudhary, Sarpanch, Gram Panchayat Gulgaon, Block Sawar, District Kekri, State of Rajasthan. Upon taking cognizance, this Hon'ble Tribunal was pleased to constitute a Joint Committee comprising representatives of the Central Pollution Control Board (CPCB), Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB), Mining & Geology Department, and other concerned authorities, vide order dated 19.11.2024, to inspect the subject mining area and submit a factual and action-taken report.

33. The Joint Committee, in its report dated 18.01.2025, submitted pursuant to the order of this Hon'ble Tribunal dated 19.11.2024, after conducting site

inspection and verification of records, observed that the mining lease holder was operating under a valid mining lease, supported by requisite Environmental Clearance and Consents issued by the competent authorities. The Committee, however, noted certain compliance-related issues relating to riverbed mining regulation, replenishment study, stock management and maintenance of river flow, and accordingly recommended strict adherence to environmental safeguards, removal of river obstructions, recovery of penalties wherever irregularities were detected, and continued monitoring by the concerned authorities.

34. In view of the aforesaid findings and recommendations, the State Government–Respondent herein respectfully submits that it shall fully comply with all directions and orders that may be passed by this Hon’ble Tribunal in the present proceedings. The State further assures this Hon’ble Tribunal that, subject to and upon permission being granted by this Hon’ble Tribunal to carry out the mining activities, it shall ensure strict compliance with all recommendations of the Joint Committee, as well as the conditions stipulated under the Environmental Clearance and the Consents to Operate.

35. The State Government further undertakes that there shall be continuous supervision and monitoring of the mining activities by the concerned departments and authorities, and that all operations shall be carried out strictly in accordance with law, the conditions of the Environmental

Clearance and CTO, and other applicable statutory provisions, so as to ensure that only legal and environmentally compliant mining is undertaken within the mining lease area granted by the State.

36. In view of the above, the present original Application may be disposed of in accordance with law.

37. That the documents annexed to the present additional response are true copies of their respective originals.

FILED BY:



(SHIV MANGAL SHARMA) & (SAURABH RAJPAL)

(ADVOCATES FOR RESPONDENT NO.1-3 STATE OF RAJASTHAN)

OFFICE:-D-291, 2ND 3 RD FLOOR,

DEFENCE COLONY

NEW DELHI-110024

PLACE: NEW DELHI

DATE:18.12.2025

1669

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1145/2024



IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHOUDHARY

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN

AND ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, **Mr. J.K. Gurbaxani**, S/o G.R. Gurbaxani, aged about 56 years, at present, working as Superintending Mining Engineer, Ajmer, Rajasthan solemnly swear and affirm on as under:-

1. That I am the Officer in Charge (OIC) in the above captioned matter for the Director Mining and Geology, Rajasthan (Respondent No. 2) and District Magistrate. Kekri (Respondent No. 3). I am well conversant with the facts and circumstances of the case.

2. I state that I have read and understood the contents of the accompanying additional Reply which has been drafted by my counsel under my instructions and the same has been explained to me. I say that the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.

3. That the submissions made therein are believed to be true and nothing material has been concealed therefrom.



(सय. क. गुरुबखानी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

Notary Public
Ajmer

4. I say that Annexures, in the instant Reply, are the true and correct copy, 17

1670

true and typed copy and true and translated copy of the original.




DEPONENT
(सिद्ध के सार्वभौमिकता)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर


VERIFICATION

I, the Deponent above named do hereby solemnly affirm that contents of Paragraphs no. 1 to 4 of the foregoing Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Ajmer on this day 05th of September 2025


Sworn Before me


Notary Public AJMER


DEPONENT
(सिद्ध के सार्वभौमिकता)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
अजमेर

खारी मैप खारी नदी

1671





1672

मीमाड

सावरी-रौ

सावर

Peeplaj

Mehroo Kalan

सावरी-रौ

आड़ा बस

सावर
Sawar

सावरी-रौ

Bajta

Deokheri


Gulgaon

SH12

MDR154

SH26

Google Earth Image Feb-2022 with no Marble Blocks



Google Earth Image Dec-2022 with Marble Blocks



कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर (राज0)

क्रमांक 31 29

दिनांक 5-12-25

सेवा में

श्रीमान सहायक खनि अभियन्ता महोदय
कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग सावर
जिला अजमेर(राज0)।

विषय:- परिवाद द्वारा श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी हरिहर विहार
हरमाडा जयपुर पुलिस थाना हरमाडा जयपुर हाल प्रतिनिधी पट्टा धारक बजरी नाका गुलगांव
पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर की जांच रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान के कार्यालय ईमेल क्रमांक सखअ/सावर/2025-26 दिनांक 02.12.2025

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीक परिवाद के सम्बन्ध में निवेदन है कि दिनांक 10.01.2025 को प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी हरिहर विहार हरमाडा जयपुर पुलिस थाना हरमाडा जयपुर हाल प्रतिनिधी पट्टा धारक बजरी नाका गुलगांव पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर ने उपस्थित थाना हो कर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की की दिनांक 03.01.2025 का माननीय एन.जी.टी. टीम के अधिकारी एवं खनिज विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा लीज क्षेत्र नदी में जा कर लीज शुरू होने से पहले जाकर चैकिंग की गई। तो पता चला कि नदी के रास्ते में अवैध बजरी माफिया द्वारा अवैध परिवहन हेतु रास्ते में पत्थर डाल रखे हैं। जिसकी मौके पर हमने फोटो ग्राफ भी खिंच रखे हैं बजरी माफिया के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

आदि परिवाद की जांच हेड कॉनि0न0 1669 सम्पतराज मीना द्वारा कराई गई। तो उक्त हेड कॉनि0 द्वारा दौराने जांच प्रार्थी विजयकुमार के ब्यान लिये जा कर शामिल परिवाद किया गया एवं घटना के मौके पर पहुंच कर नदी का मौका देखा गया एवं पूर्व में भी उक्त हेड कॉनि0द्वारा मौका देखा गया था। एवं ग्राम गुलगांव के नदी क्षेत्र के बहाव में मार्बल के वैस्टेज ब्लॉक व छोटे बड़े पत्थर डाले हुये थे। जिसकी जानकारी करने व जांच करने पर पाया की पूर्व में उक्त ब्लॉक का ग्रामवासीयों द्वारा नदी क्षेत्र के आसपास के मार्बल माईसों से नदी की सरकारी जमीन पर स्टॉक किया हुआ था। तथा आवश्यकता अनुसार गांव में मकान निर्माण या चुनाई आदि के लिये। वैस्टेज मार्बल के ब्लॉको को फोड कर पत्थरो को काम में लिया करते थे। प्रशासन के द्वारा नदी क्षेत्र के लिप्रतिनिधी को उक्त ब्लॉक पत्थरों को उठाने हेतु पाबन्ध किया जाने पर लिज धारक द्वारा उक्त ब्लॉक को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। वर्तमान में मौके पर नदी क्षेत्र में कोई मलबा नहीं है तथा नदी में पानी आने से पानी का रास्ता पुरा खुला हुआ है। एवं नदी का पानी अपने निर्धात रास्ते (नदी के बहाव क्षेत्र) में बह रहा है। आज दिनांक 04.12.2025 को मौके पर कोई मलबा नहीं है। मौके पर उक्त मलबा किसके द्वारा डाला गया है। के सम्बन्ध में नदी क्षेत्र के आस पास के खेतवालों एवं गुलगांव के लोगों से एवं गुप्त रूप से परिवाद में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी की तो आस पास के गांव के लोगों द्वारा डाला जाना पाया गया है। जिसके नाम की जानकारी नहीं हो पाई। वर्तमान में मौके पर सफेद मलबा एवं डस्ट नहीं है। एवं पानी निर्धारीत रास्ते (नदी क्षेत्र) में बह रहा है। नदी के बहाव क्षेत्र में कोई पत्थर नहीं है एवं उक्त मलबा किसने डाला यह बता नहीं चला सका है।

अतःजांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय
थानाधिकारी
पुलिस थाना केकडी सदर
जिला अजमेर (राज0)

View Complaint
(शिकायत देखें)

1. **Complaint No.** (शिकायत सं.) 75410442500014
Date of Complaint (शिकायत की 10/01/2025

District (जिला) KEKRI
Police Station (थाना) KEKRI SADAR

2. **Details of the complainant** (शिकायतकर्ता का विवरण):

- a) **Name** (नाम) VIJAY SHARMA
b) **Relative name** (संबंधी का नाम) SDISH PRASAD SHARMA
c) **UID No.** (यूआईडी)
d) **Nature of Complaint** (शिकायत का व्यक्ति के विरुद्ध)
e) **Landline No.** (लैंडलाइन)
f) **Mobile No.** (मोबाइल 91-9887197810
g) **Email ID** (ईमेल)
h) **Address** (पता)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	HARMADA, HARMARA, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	Permanent Address	HARMADA, HARMARA, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

3. **Identification Details of the complainant** (शिकायतकर्ता का पहचान विवरण)

a) **Country of Nationality** (राष्ट्रीयता हेतु)

S.No. (क्र.सं.)	Identification Type (पहचान प्रकार)	Identification No. (पहचान सं)
-----------------	------------------------------------	-------------------------------

4. **Details of Accused** (अभियुक्त का विवरण)

(1) a) **Name of Accused** (अभियुक्त का AGYAT BAJRI MAFIYA

- b) **Mobile No.** (मोबाइल)
c) **Landline No.** (लैंडलाइन)
d) **Address** (पता)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	NAMALUM, KEKRI SADAR, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	Permanent Address	NAMALUM, KEKRI SADAR, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

5. **Incident Details** (घटना का विवरण)

a) **Place of Incident** (घटना का GULGAON PS KEKRI SADAR

b) **Type of Incident** (घटना का परिवार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की दिनांक 03/01/2025 को माननीय एन.जी.टी टीम के अधिकारी एवं खनिज विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा लीज क्षेत्र नदी में जाकर लीज शुरू होने से पहले जाकर चौकिया की गई तो पता चला कि नदी के रास्ते में अवैध वजरी माफिया द्वारा अवैध परिवहन हेतु रास्ते में पत्थर डाल रखे है जिसकी मोके पर हमने फोटोग्राफ भी खिच रखे है वजरी माफिया के खिलाफ कार्यवाही की जावे इत्यादी ।

c) **Is Date/time of incident known** (क्या घटना की दिनांक / समय नहीं

d) **Date & Time of Incident** (घटना की दिनांक और समय):

From (से):

To

6. **Complaint Details** (शिकायत विवरण)

a) **Date of Complaint** (शिकायत की 10/01/2025

b) **Mode of Receipt** (प्राप्ति की व्यक्ति द्वारा

c) **Complaint Description** (शिकायत शिकायत का पूर्ण विवरण पीडीएफ के संलग्न संलग्न है ।,

d) **Remarks**

परिवार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की दिनांक 03/01/2025 को माननीय एन.जी.टी टीम के अधिकारी एवं खनिज विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा लीज क्षेत्र नदी में जाकर लीज शुरू होने से पहले जाकर चौकिया की गई तो पता चला कि नदी के रास्ते में अवैध वजरी माफिया द्वारा अवैध परिवहन हेतु रास्ते में पत्थर डाल रखे है जिसकी मोके पर हमने फोटोग्राफ भी खिच रखे है वजरी माफिया के खिलाफ कार्यवाही की जावे इत्यादी ।

पेज 1 की 2

थानाधिकारी
पुलिस थाना केकड़ी सदर
जिला-अजमेर (राज.)

General Diary Details (रोजनामचा का विवरण)

State (राज्य): RAJASTHAN

District (जिला): AJMER

P.S. (थाना): KEKRI SADAR

- a) G.D. No. (दैनंदिनी सं.): 012
 b) G.D. Date (दैनंदिनी दिनांक): 04/12/2025 13:20 PM
 c) G.D. Type (दैनंदिनी प्रकार): आगमन
 d) G.D. Sub Type (दैनंदिनी उप आगमन/वापसी)
 e) Beat Area (बीट क्षेत्र):
 f) FIR Number (प्र.सू.रि.स.):

LIST OF STAFF (कर्मचारियों की सूची):

S.No. (सं.)	Name (नाम)	Rank (पद)	SSO ID (एचएसओ आईडी)
1	SAMPAT RAJ MEENA 1669	मुख्य आरक्षी	199901018862

g) GD Subject (रोजनामचा विषय): वापसी मन हेड कॉनि.न.1669 सम्पतराज मीना

h) GD Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

इस समय दर्ज रहे की बहवाला रपट संख्या 16 दिनांक 03/12/2025 रोजनामचा आम का गया हुआ मन हेड कॉनि.न.1669 सम्पतराज मीना वास्ते जांच परिचाट द्वारा श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति बासुण निवासी हरिहर विहार हरमाडा जयपुर पुलिस थाना हरमाडा जयपुर हात पतिनिधी पट्टा धारक वजरी नाका गुलगाव पुलिस थाना केकडी सटर जिला अजमेर को जांच हेतु खारी नदी गुलगाव पुलिस थाना केकडी सटर जिला अजमेर पर पहुंचा जहां पर नदी का मौका देखा गया एवं पूर्व में भी मन हेड कॉनि. द्वारा मौका देखा गया था। एव गाम गुलगाव के नदी क्षेत्र के बहाव में मार्बल के वैस्तेज ब्लॉक व छोटे बड़े पत्थर डाले हुये थे। जिसकी जानकारी करने व जांच करने पर पाया गी पूर्व में उक्त ब्लॉक का ग्रामवासीयो द्वारा नदी क्षेत्र के आसपास के मार्बल माईसी से नदी की सरकारी जमीन पर स्टॉक किया हुआ था। तथा आवश्यकता अनुसार गांव में मकान निर्माण या तुनाई आदि के लिये। फोंड कर काम लिया करते थे। प्रशासन के द्वारा नदी क्षेत्र के लिजमालीक को उक्त ब्लॉक पत्थरों को उठाने हेतु पाबन्ध किया जाने पर तीज धारक द्वारा उक्त ब्लॉक को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। वर्तमान में मौके पर नदी क्षेत्र में कोई मलबा नहीं ही है तथा। नदी में पानी आने से पानी का रास्ता पूरा खुला हुआ है। एव नदी का पानी अपने निर्धात रास्ते (नदी के बहाव क्षेत्र) में बह रहा है। आज दिनांक 04.12.2025 को मौके पर कोई मलबा नहीं है। मौके पर उक्त मलबा किसके द्वारा डाला गया है। के सम्बन्ध में नदी क्षेत्र के आस पास के खेतवालों एव गुलगाव के लोगो से एव गुप्त रूप से परिचाट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी की तो आस पास के गांव के लोगो द्वारा डाला जाना पाया गया है। जिसके नाम की जानकारी नहीं हो पाई। वर्तमान में मौके पर सर्वेट मलबा एव डस्ट नहीं है। एव पानी निर्धारित रास्ते (नदी क्षेत्र) में बह रहा है। हालात भीमान थानाधिकारी महोदय को निवेदन है। रपट दर्ज है।

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की 05/12/2025 18:21 बजे

Report Printed by (बिच के द्वारा रिपोर्ट Nahar Singh Meena
SI (Sub-Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name Jagdish Prasad

Rank निरीक्षक

No. (सं.):

1
थानाधिकारी
पुलिस थाना केकडी सटर
जिला-अजमेर (राज.)

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 06/12/2025 का मौका के निर्देशानुसार तदवीक केकरी एवं सावर में खनिज बजरी हेतु स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 05/2013, की अंतर्गत शैलावत के पत्र में संख्या 1025.70 हे.रेयर हेतु स्वीकृत खनन पट्टे का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर खनन पट्टे का निरीक्षण खनन पट्टाधार के प्रतिबंधी की सीमाबिंदु की उपस्थिति में किया गया। सर्वप्रथम खनन पट्टे के स्वीकृत गुणजांच TP प्जॉन्ट पर पहुंचे, जहाँ पर खनिज बजरी का निमित्त होना जांच पाया गया। तत्पश्चात् खनन पट्टे के स्वीकृत TP प्जॉन्ट पर जांच की गयी तथा खनन पट्टे का जांच पाया गया। तत्पश्चात् खनन पट्टे के स्वीकृत क्षेत्र में आने वाले आगे गुणजांच, संभावित, धुन्धारी, आंधावास, खजारा आदि आगे में बहने वाली खारी नदी का मौका पर पहुंचे। मौके पर नदी नैरा के Lat Long $25^{\circ} 49' 33'' N, 75^{\circ} 12' 20'' E$ पाया गया। मौके पर खनन कार्य जांच पाया गया। तथा 3m. के अधिक गहराई के जांच नहीं पाया गया। River water level के अधिक गहराई तक खनन कार्य होना नहीं पाया गया। तथा CER Recommendation के बिंदु संख्या 11(II)(b) के अनुसार Safety Zone 7.5m. छोड़कर ही खनन कार्य किया होना पाया गया। तथा स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य होना पाया गया। अंतर्गत उपरोक्त प्रतिनिधियों नदी नैरा में नदी पर जांच मौका रिपोर्ट अनुसार मानसून पश्चात् वरसात का पानी नदी नैरा में बहना आने के खारी नदी में बजरी अप्लावमेंट होना पाया गया।

(2)

1679

26

जिसके नदी क्षेत्र के अधिकतम मात्र में पानी बहा हुआ है। तथा पुराने
 गाड़ों में बारिश का पानी आने के पुराने गाड़ों के अधिकतम भर जाये है।
 तथा मौसम स्थिति अनुसार नदी क्षेत्र में किसी भी वजन के आवागमन के
 निशान्त नहीं है जिसके यह उचित होता है कि खनन कार्य कभी दिनांक
 जन्म है। तत्पश्चात् खनन पट्टे के स्थित मैदलकाल TP point पर पहुँचे।
 वक्त निरीक्षण TP point पर कोई लगा हुआ पाया गया तथा केवल सही
 स्थिति में पाये गये तथा खनिज बजरी का निर्गमन जन्म होता पाया गया।
 तत्पश्चात् मैदलकाल गाड़ों के आसपास खनन पट्टे के स्थित क्षेत्र में अपने वाले
 गाड़ों आमतौर, मैदलकाल आदि का मौसम दौरान पहुँचे। मौसम पर नदी क्षेत्र एक
 के Lat-long 25° 45' 30" N, 75° 07' 57" E पाये गये। मौसम पर खनन कार्य
 जन्म पाया गया। 3m के अधिक गहराई के गाड़ों नहीं पाये गये। तथा River
 water level के अधिक गहराई पर खनन कार्य नहीं पाया गया। तथा CEC Recommendation
 के बिन्दु संख्या 11 (iii) (b) के अनुसार 7.5 m. Safety zone दौड़कर ही खनन कार्य
 होता पाया गया। तथा खनन पट्टे के स्थित क्षेत्र में खनन कार्य होता पाया गया।
 मौसम पर खनन खनन होता नहीं पाया गया। वक्त निरीक्षण किसी भी वजन के मात्र
 निशान्त नदी क्षेत्र में नहीं पाये गये जिसके यह उचित होता है कि खनन कार्य
 नदी क्षेत्र में कभी दिनांक के जन्म है। मौसम स्थिति अनुसार मानसून परन्तु
 नदी क्षेत्र में बारिश का पानी बहने के नदी क्षेत्र में खनिज बजरी Replenish
 होता पाया गया तथा नदी क्षेत्र के अधिकतम मात्र के पानी बहा हुआ पाया गया।
 तत्पश्चात् खनन पट्टे के देवपुरा TP point पर पहुँचे। मौसम पर TP point
 पर खनिज बजरी का निर्गमन जन्म पाया गया। तथा मौसम पर TP point पर

कमिटी की रिपोर्ट ली गई है तथा कारा लगा हुआ पानी अच्छा लक्षणों के साथ
 दैनपुरा T.P. जंक्शन के आसपास खनन पट्टे के सीमित ग्राम दैनपुरा, गौडगा,
 बालापुरा आदि ग्रामों में लगे वानी खारी नदी में का मिला देना पड़ेगा।
 मौसम पर नदी में के $Lat-Long$ $25^{\circ} 47' 01'' N$, $75^{\circ} 04' 39'' E$ पाये गये।
 मौसम पर खनन कार्य बन्द पाया गया। 3m के अधिक गहराई तक खनन कार्य
 नहीं पाया गया। तथा खनन पट्टे के सीमित क्षेत्र में ही खनन कार्य होना पाया
 तथा CEC Recommendation के बिन्दु संख्या 11 (iii) (b) के अनुसार 7.5 m Safety
 Zone होकर ही खनन कार्य होना पाया गया। मौसम पर अकेले जातिनाथिका नदी में
 में नहीं परि गरी। Since water level के अधिक गहराई तक खनन कार्य नहीं पाया गया
 वक्त निरीक्षण खनन पट्टे के सीमित क्षेत्र में और वहाँ ग्राम बालापुरा, दैनपुरा, गौडगा
 में लगे वानी खारी नदी में किसी भी वाहन के आनागमन के लिये निशाना
 नहीं पाये गये। जिससे यह प्रतीत होता है कि खनन कार्य नदी में काफी दिना
 से बन्द है। मौसम रिपोर्ट अनुसार नदी में मानसून के दौरान बरसात
 का पानी आने के आदिमांश (वर्षा) पर पानी भरा हुआ है तथा पुराने जड़ों
 पानी के भरे हुए हैं तथा मानसून परंपरा वारिस का पानी नदी में लगे के
 खनन वारी Replenish होना पाया गया।
 खनन पट्टे 05/2013 के सीमित क्षेत्र में और वहाँ ग्राम गुलगांव, लक्ष्मी,
 लुखरी, लंकागांव, आगागांव, मैदानगा, आमबी, बालापुरा, दैनपुरा, गौडगा
 मौसम रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट लगी है। -

(4)

① निरीक्षण दौरान खनन पट्टे के **1681** पर्यवेक्षण करी पर भी **28** अधिक गहराई तक खनन कार्य होना नहीं पाया गया।

② River water level के अधिक गहराई तक खनन कार्य नहीं पाया गया।

③ CEC Recommendation के विन्दु संख्या 11 (iii) (b) के अनुसार 7.5 m. Safety zone द्वारा खनन कार्य होना पाया गया।


④ माईक पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन होना नहीं पाया गया।

⑤ CEC की सिकांरिशी के अनुसार बजरी केवल खुली सतह के ही निकाली गई होना प्रतीत होना पाया गया।

⑥ CEC Recommendation के विन्दु संख्या 11 (iii) (B) के अनुसार पहाड़ी की नीची भेज के 5 Km परिधि में 3 ब्लॉक फाइट (मैद-मला, देवपुरा, गुल्गाँव) बनाये गये हैं। तीनों TA प्लॉट पर केब्रि सी स्थिती लगी पाई गई तथा केब्रि लगे हुए पाये गये।


⑦ वक्त निरीक्षण खनन कार्य बन्द पाया गया।

⑧ माईक पर मिल्लर लगे हुए पल्ले वाले तथा कुछ जगह पल्ले प्रवाह के कारण गिरे हुए माईक पर उपस्थित प्रतिनिधी के CEC Recommendation के अनुसार ही खनन कार्य करे एवं खनन कार्य के दौरान सजिल बजरी के खनन/निर्गमन में प्रयुक्त होने वाले वाहन का GPS युक्त पहना का ही उपयोग करे हेतु पत्रव्यव किया गया। माईक रिपोर्ट माईक पर लगायी जाकर उपस्थित प्रतिनिधी के हस्ताक्षर किये गये।


06/12/25
(उपस्थित प्रतिनिधी)


Anil Kumar
06/12/25

की.एम.
SMF 06/12/25
(Anil Kumar)



 **GPS Map Camera**

Kekri, Rajasthan, India 

Q44h+c89, Ajmer Rd, Raghu Colony, Kekri, Rajasthan
305404, India

Lat 25.758571° Long 75.129254°

Saturday, 06/12/2025 03:33 PM GMT +05:30



1683

30



 GPS Map Camera

Kekri, Rajasthan, India 

Via Kaazodiya Rd, Rajasthan 305405, India, Kekri, Rajasthan 305405, India

Lat 25.783081° Long 75.087783°

Saturday, 06/12/2025 04:18 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera

Kekri, Rajasthan, India 

Via Kaazodiya Rd, Rajasthan 305405, India, Kekri, Rajasthan 305405, India

Lat 25.78307° Long 75.087953°

Saturday, 06/12/2025 04:17 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera

Mehru Kalan, Rajasthan, India 

Regar Mohalla Rd, Mehru Kalan, Rajasthan 305405, India

Lat 25.758757° Long 75.128678°

Saturday, 06/12/2025 03:31 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera

Mehru Kalan, Rajasthan, India 

Regar Mohalla Rd, Mehru Kalan, Rajasthan 305405, India

Lat 25.758793° Long 75.128642°

Saturday, 06/12/2025 03:32 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**

Kekri, Rajasthan, India 

Q44h+c89, Ajmer Rd, Raghu Colony, Kekri, Rajasthan
305404, India

Lat 25.758555° Long 75.129262°

Saturday, 06/12/2025 03:33 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera


Mehru Kalan, Rajasthan, India 

Regar Mohalla Rd, Mehru Kalan, Rajasthan 305405,
India

Lat 25.758822° Long 75.128589°

Saturday, 06/12/2025 03:32 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera

Check In



Google

Kekri, Rajasthan, India
, Rajasthan 305407, India, Kekri, Rajasthan 305407, India
Lat 25.819557° Long 75.203442°
27/08/2025 02:22 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera

Check In



Google

Kekri, Rajasthan, India
Rajasthan 305407, India, Kekri, Rajasthan 305407, India
Lat 25.819521° Long 75.203471°
27/08/2025 02:23 PM GMT +05:30

1691

38



 GPS Map Camera

Check In



Kekri, Rajasthan, India

, Rajasthan 305407, India, Kekri, Rajasthan 305407, India

Lat 25.820929° Long 75.203706°

28/08/2025 04:30 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Check In



Sadara, Rajasthan, India 

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India

Lat 25.821442° Long 75.203862°

Saturday, 06/12/2025 07:36 PM GMT +05:30

Google



 **GPS Map Camera**

Check In



Sadara, Rajasthan, India 

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India

Lat 25.820112° Long 75.203625°

Saturday, 06/12/2025 07:27 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Check In



Sadara, Rajasthan, India 

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India


Lat 25.820877° Long 75.203766°

Saturday, 06/12/2025 07:22 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Check In



Sadara, Rajasthan, India 

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India

Lat 25.821447° Long 75.203871°

Saturday, 06/12/2025 07:37 PM GMT +05:30

Google


1696

43



 GPS Map Camera

Check In



Google

Sadara, Rajasthan, India 

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India

Lat 25.822007° Long 75.203996°

Saturday, 06/12/2025 07:41 PM GMT +05:30

1697

44



 GPS Map Camera

Check In



Sadara, Rajasthan, India 

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India

Lat 25.820856° Long 75.203752°

Saturday, 06/12/2025 07:22 PM GMT +05:30

1698

45



 GPS Map Camera

Check In



Google

Sadara, Rajasthan, India 

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India

Lat 25.822017° Long 75.204002°

Saturday, 06/12/2025 07:41 PM GMT +05:30

राजस्थान सरकार
 कायमि सहायक सचिव आग्नेय-ता, सावर

46

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 03/09/2025 को श्रीमान के निर्देशानुसार खनन पहा
 संख्या 05/2013 वास्तु खनिज वजारी तहसील कैकरी जिला अजमेर
 में खारी नदी का मौका देखा गया। मौके पर खनन पहाधारक के
 प्रतिनिधी उपस्थित मिले। पूर्व में दिनांक 25/02/2025 में खतार्
 रिपोर्ट अनुसार निकट ग्राम गुलगांव स्थित खारी नदी में पत्थर
 ब्लॉक / डोर पत्थर सामग्री खारी नदी में कचरा रास्ता बना बाध
 गया है। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधी ने बताया कि उक्त ब्लॉक / डोर
 पत्थर के मशीनों के द्वारा खारी नदी से हटाकर ब्लॉक / डोर पत्थर को
 एक तरफ जमा दिया गया है। मौके पर उक्त निरीक्षण जांच की गई तो
 निकट ग्राम गुलगांव के पास खारी नदी में पानी का बहाव जारी है तथा
 नदी के एक तरफ ब्लॉक / डोर पत्थर बना पाया गया। मौके पर नदी में
 मै किरी श्री उकार का पानी का बहाव अवरोध होना नहीं पाया गया।
 मौके पर खनन पहा के पिलर के समन्वय में छुटकारा करने पर उपस्थित
 प्रतिनिधी ने बताया कि कुछ पिलर मौके पर लगा दिये गये हैं तथा
 वर्तमान में बाकिश धातु से कुछ पिलर के / बाकि पिलरों को जल्द
 के मौकम के परन्तु मौके पर नदी में के दोनो ओर लगा दिये

390
 3-9-25

P.T.O.

1700

आयोग | मोका रिपोर्ट अनुसार कुछ पिप्लर मोका पर लगे हुए पाये
 गये तथा अश्वात के मौसम होने के कारण रास्ता में नीचे होने के
 वर्तमान में पिप्लर लगाया जमा सम्भव नहीं है। मोका पर उपस्थित
 प्रतिनिधी का पाठ्य मिथा जका कि वारिसा के मोकम के पश्चात जका
 पैर के समान पिप्लर के मोका पर लगाकर सुरक्षित रखें। मोका रिपोर्ट
 जकात उपस्थित न एताम मिथे।

Signature

प्रतिनिधि
 अजी वीज चारु - केरी
 सरल/हिड 2029197
 MLNO - 05/2013

कोडन
 (SMF)
 (AME Samra)
 03/09/25

कार्पोरेट सहायक रवीन. अश्विपन्ता. सावर

आज दिनांक 10-12-2025 को श्रीमान डे निर्देशानुसार रवनन पट्टा संख्या 05/13 की भरत खिंड शेखावत के पट्टे में रवनन खजरी हेतु जारी रवनन पट्टे का मौका देखने निकट ग्राम गुलगांव तहसील डेक्की डे खारी नदी क्षेत्र में पहुँचे।

मौके पर रवनन पट्टाधारी डे प्रतिनिधि श्री भीमसिंह उपस्थित मिले वक्त निरिक्षण नदी क्षेत्र में रवनन कार्य केट पाया गया मौके पर नदी क्षेत्र में किसी प्रकार का पानी का बहाव अवरोध होना नहीं पाया गया।

मौके पर हल्का पट्टवारी गुलगांव को बुलाकर रवलरा नम्बरान की पूछताछ की गई राजाख रिकॉर्डनुसार नदी डे रवलरा नम्बर 2726 रकबा 41.53 हेक्टर किलोमि. जे.पु. नदी होना पाया गया।

मौका पट्टे मौके पर तैयार कर पढ़ाकर सुनाकर उपस्थित डे हस्ताक्षर कुरवाये गये।

Signature
10-12-25
प. गुलगांव

कि.म
SMF 10/12/25
(one sam)

1702

राजस्थान-सरकार

संयुक्त जांच रिपोर्ट

आज दिनांक 13.12.2025 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विभाग से संबंधित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 1145/2024 नीरज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, के प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के पत्रांक 19309980 दिनांक 10.12.2025 से गठित कमेटी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी में निम्न सदस्य मौजूद थे:-

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग
1	डॉ. आस्था शर्मा	उपखण्ड अधिकारी सावर	राजस्व विभाग
2	हर्षित शर्मा	पुलिस उपाधिकक्षक, केकडी	पुलिस विभाग
3	बंटी देवी	तहसीलदार, केकडी	राजस्व विभाग
4	निधि खण्डेलवाल	क्षेत्रीय अधिकारी, किशनगढ़	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
5	मनोज कुमार तंवर	सहायक खनि अभियंता, सावर	खान एवं भूविज्ञान विभाग
6	राजेश मीणा	सहायक अभियंता, केकडी	जल संसाधन विभाग

संयुक्त कमेटी द्वारा श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 05/2013, निकट ग्राम गुलगांव, तहसील केकडी के नदी क्षेत्र में ब्लॉक/मलबा स्थल पर पहुंचे। गठित कमेटी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2025 की सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं की जांच की गई जो निम्नानुसार है-

1. जल संसाधन विभाग के अनुसार खारी नदी राजसमंद जिले के उत्तर में बीजराल गांव के पास की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर जिले से बहती हुई देवली (टोंक) के पास बनास नदी में मिलती है। उक्त नदी के बहाव क्षेत्र में मुख्यतः फैंसपार, माईका, ग्रेनाईट आधारित चट्टाने अवस्थित है तथा सेण्ड (बजरी) व साधारण मिट्टी पाई जाती है।
2. फरवरी 2022 की गूगल अर्थ इमेज की प्रति संलग्न है। जिसमें मलबा/ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहे है। गूगल अर्थ (Google Earth) पर उपलब्ध इमेज अन्तिम वर्ष दिसम्बर 2022 की है जिसकी प्रति संलग्न है, जिसमें मलबा/ब्लॉक स्पष्ट दिखाई दे रहे है।
3. उक्त खनन पट्टे की एल.ओ.आई. (LOI) मूल रूप से 20.03.2013 को पट्टाधारक श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष में जारी की थी। खनन पट्टे की पर्यावरण स्वीकृति (EC) 03.02.2022 को जारी की गई थी। खनन पट्टे का संविदा (Agreement) 30.03.2023 को निष्पादित हुआ और पंजीयन 31.03.2023 को हुआ। इस प्रकार खनन पट्टा दिनांक 31.03.2023 से प्रभावी हुआ। वर्ष 2013 से 2023 तक खनन पट्टा प्रभाव में नहीं होने से नदी क्षेत्र का कब्जा राज्य सरकार के पास रहा है।
4. मार्बल ब्लॉक/मलबा वर्ष 2022 में किसके द्वारा डाला गया है, के सम्बंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना, केकडी सदर के पत्र दिनांक 05.12.2025 (प्रति संलग्न) से अवगत कराया गया कि प्रकरण में नदी के बहाव क्षेत्र में आस-पास के ग्रामीण लोगों द्वारा मलबा डालकर रास्ता

बनाया गया था। जिनके नाम की जानकारी नहीं होना बताया गया। जांच में पाया गया कि यह मलबा आसपास के गांवों के अज्ञात लोगों द्वारा डाला गया था। साथ ही कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर द्वारा उक्त क्षेत्र में मलबा किनके द्वारा डाला गया है तथा उक्त मलबे को हटाकर नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु पत्रांक 451 दिनांक 25.03.2025 से तहसीलदार केकडी को लिखा गया।

5. कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर के पत्र क्रमांक 08.01.2025 व 14.08.2025 से व प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा खनन पट्टाधारक को उक्त मलबा/ब्लॉक को हटाने हेतु निर्देशित किये जाने पर पट्टाधारी द्वारा उक्त मलबा/ब्लॉक को माह अगस्त 2025 में हटा दिया गया। जो आज दिनांक 13.12.2025 को नदी के बहाव क्षेत्र से हटे हुए पाये गये। पूर्व में कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर के तकनीकी कार्मिक की दिनांक 03.09.2025 की मौका रिपोर्ट में भी पुष्टि की गई कि पत्थर नदी से हटा दिए गए हैं। थानाधिकारी, पुलिस थाना, केकडी सदर की रिपोर्ट (दिनांक 05.12.2025) पुष्टि करती है कि मौके पर अब कोई मलबा नहीं है और पानी का रास्ता खुला है। दिनांक 10.12.2025 को कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर के तकनीकी कार्मिक मय हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त जांच कर मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2025 (प्रति संलग्न) प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया गया कि नदी क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध नहीं पाया गया एवं नदी से हटाये गये पत्थर सिवाय चक (राजकीय भूमि) खसरा नंबर 3331/2102 में एकत्रित है। जिनका कब्जा राज लिया गया। (प्रति संलग्न)
6. यह मानव निर्मित मलबा/ब्लॉक थे। जिससे पानी के बहाव में आंशिक अवरोध था। वर्तमान मौका स्थिति अनुसार नदी के जल भराव क्षेत्र में कोई भी ब्लॉक/मलबा दृष्टिगोचर नहीं है।
7. पट्टाधारक द्वारा वर्तमान स्थिति को दर्शाने हेतु मौके पर ड्रोन वीडियो/फोटो तैयार किये गये हैं। (संलग्नक- पेन ड्राइव) के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
8. जब राजकीय भूमि (नदी क्षेत्र) किसी भी पट्टाधारक को आवंटित नहीं होता है, तो खनिज सम्पदा के अवैध खनन की जिम्मेदारी खान एवं भू-विज्ञान विभाग की होती है, जबकि नदी/नालों पर अवस्थित संरचनाओं की निगरानी से सम्बंधित जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की होती है व राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में आती है।
9. RMMCR, 2017 के अनुसार खनन पट्टाधारक नियमों व संविदा की शर्तों की पालना करने हेतु बाध्य है। जिसके अनुसार खनन पट्टाधारक खनन गतिविधियां करने के लिये ही अधिकृत है व खनन पट्टा क्षेत्र में मलबा इत्यादि डाले जाने पर संविदा की शर्तों की पालना नहीं करने पर RMMCR, 2017 के पेनल्टी शिड्यूल-IV के क्रम संख्या 13 के तहत कार्यवाही की जाती है। इस मामले में विभाग ने पट्टाधारक पर नियमानुसार 15,000/- रुपये की शास्ति (Penalty) आरोपित की गई है।
10. रिकॉर्ड अनुसार पत्र में वर्णित अक्टूबर 2022 से दिनांक 19.04.2023 की अवधि में किसी भी विभाग के द्वारा मलबा/ब्लॉक के डाले जाने की जानकारी/सूचना नहीं होने से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

Rajesh

11. संयुक्त कमेटी निरीक्षण दिनांक 03.01.2025 से दिनांक 03.07.2025 के बीच विभागों द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है-

खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टाधारी को संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट के सम्बंध में दिनांक 08.01.2025, 27.02.2025, 21.04.2025 व 14.08.2025 (प्रति संलग्न) को चेतना पत्र जारी किये गये। साथ ही विभाग द्वारा दिनांक 25.02.2025, 23.06.2025, 30.06.2025, 03.09.2025 व 06.12.2025 (प्रति संलग्न) को खनन पट्टे की जांच की गई व दिनांक 20.02.2025 से नदी के निकट अवैध खनन स्थल पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त चौक पोस्ट स्थापित की गई। चालू वर्ष व गत दो वर्षों के खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध तहसील केकडी में की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-


क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	अवैध खनन के प्रकरण	अवैध निर्गमन के प्रकरण	अवैध भण्डारण के प्रकरण	कुल प्रकरण	वसूली की गयी राशि	दर्ज एफ. आई. आर.	जब्त वाहन
1	सखअ सावर	2022-23	1	31	1	33	52,98,050	3	31
2		2023-24	0	25	2	27	42,18,700	1	29
3		2024-25	1	32	5	38	75,62,850	2	33
4		2025-26 (दि. 30.11.2025 तक)	4	32	18	54	99,27,200	10	49
		कुल	6	120	26	152	2,70,06,800	16	142

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पट्टाधारी को CTO रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके क्रम में पट्टाधारी द्वारा दिनांक 14.04.2025 से जवाब प्रस्तुत किया गया जो संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर पत्र दिनांक 22.08.2025 द्वारा पट्टाधारी को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके क्रम में पट्टाधारी द्वारा दिनांक 28.08.2025 से जवाब प्रस्तुत किया गया जो संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर पट्टाधारक के विरुद्ध मण्डल के आदेश दिनांक 03.10.2025 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (EC) राशि 43.68 लाख अधिरोपित की गई जो आज दिनांक तक पट्टाधारक द्वारा जमा नहीं कराई गई है।

प्रकरण में पट्टाधारक द्वारा दिनांक 10.01.2025 को खनन पट्टा क्षेत्र में अतिक्रमण किये जाने के सम्बंध में प्रकरण पुलिस थाना, केकडी सदर में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसके क्रम में कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना, केकडी सदर के पत्र क्रमांक 3129 दिनांक 05.12.2025 जो सहायक खनि अभियंता, सावर को प्रेषित है, प्रकरण में नदी के बहाव क्षेत्र में आस-पास के ग्रामीण लोगों द्वारा मलबा डालकर रास्ता बनाया गया था। जिनके नाम की जानकारी नहीं होना पाया गया। जांच में पाया गया कि यह मलबा आसपास के गांवों के अज्ञात लोगों द्वारा कच्चा रास्ता बनाने हेतु डाला गया था। किन्तु आज दिनांक 13.12.2025 को मौके पर नदी के बहाव क्षेत्र से मलबा/ब्लॉक आदि हटाकर अतिक्रमण हटा हुआ पाया गया व नदी के जल प्रवाह में कोई अवरोध नहीं पाया गया।


12. जल संसाधन विभाग के अनुसार जल स्रोत/नदी में अतिक्रमण सम्बंधी शिकायत/परिवाद/सूचना प्राप्त होने पर राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता के द्वारा दिनांक 12.12.2025 की मौका रिपोर्ट के अनुसार नदी, जल भराव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवरोध होना नहीं पाया गया (प्रति संलग्न) व आज दिनांक 13.12.2025 को संयुक्त कमेटी के साथ वक्त निरीक्षण नदी बहाव क्षेत्र में कोई भी अवरोध नहीं पाया गया व नदी के जल प्रवाह में कोई रुकावट नहीं है। साथ ही इस वर्ष अत्याधिक वर्षा होने से नदी में पूर्ण वेग से जल प्रवाह हुआ है, जिससे नदी में अधिकांश गड्ढे भरे जा चुके हैं व कोई रुकावट दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

निष्कर्ष:- दिनांक 13.12.2025 को संयुक्त कमेटी द्वारा माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में चल रहे प्रकरण ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 1145/2024 नीरज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, के सम्बंध में ग्राम गुलगांव, तहसील केकडी में डाले गये मार्बल ब्लॉक/मलबा क्षेत्र को निरीक्षण किया गया। मौके पर नदी क्षेत्र में खनन गतिविधियां बन्द पाई गई। मौके पर नदी क्षेत्र में 3 मीटर से गहरे गड्ढे नहीं पाये गये व मौके पर नदी के किनारे सुरक्षित है। मौके पर उक्त ब्लॉक/मलबा नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से पूर्ण रूप से हटा दिये गये हैं तथा वर्तमान मौका स्थिति अनुसार नदी के जल प्रवाह में कोई रुकावट नहीं है।


(बंटी देवी) 13/12/25
तहसीलदार, केकडी
जिला अजमेर


(हर्षित शर्मा)
पुलिस उप अधीक्षक
केकडी, जिला अजमेर


(डॉ. अंशु शर्मा) 13/12/25
उपखण्ड अधिकारी, सावर
जिला अजमेर


(राजेश मीणा) 13/12/25
सहायक अभियंता
जल संसाधन विभाग
केकडी, जिला अजमेर


(मनोज कुमार तवर) 13/12/25
सहायक खाने अभियंता
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
सावर, जिला अजमेर


(निधि खण्डेलवाल) 13/12/25
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण
मण्डल, किशनगढ़, जिला अजमेर

1706

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सावर के पत्र क्रमांक सामान्य एन जी टी | 2025/2169-2173 दिनांक 11.12.2025 व ओ.ए.सं 1145/2024 नीरज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में आज दिनांक 13.12.2025 ग्राम गुलगांव में स्थित खारी नदी के विवादित स्थल पर पहुँचे। राजस्व रिकॉर्डनुसार खारी नदी का खसरा नम्बर 2726 रकबा 41.53 हेक्टर किल्ला गै.मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड है।

मौजे पर विवादित स्थल खसरा नम्बर 2726 नदी भूमि में किसी प्रकार का अवरोध नहीं पाया गया एवं नदी से हटाये गये ब्लाक / पत्थर को खसरा संख्या 3331/2102 सिवाय पक्क खसरे में एकत्रित है जिनका कुब्जा राज लिया गया।

मौजा कार्रवाही का पन्था मौजा मौजे पर तैयार कर पढ़ाकर सुनाकर उपस्थित के हस्ताक्षर करायें।

मैं जय्यी नीरज चौधरी की शर्त कार्यवाही से संतुष्ट हूँ।

Neeraj Choudhary 13.12.2025 (कब्जा प्राप्तकर्ता)

2LR-गुलगांव 13/12/2025

13/12/25

SDM, Sawar 13/12/25


AME Sawar 13/12/25

13/12/25

RO, R&P&B 13.12.25

13/12/25 (for kabi)





Sadara, Rajasthan, India 🇮🇳

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India

Lat 25.820912° Long 75.204696°



Saturday, 13/12/2025 02:25 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera



Sadara, Rajasthan, India 
R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India
Lat 25.820852° Long 75.204773°
Saturday, 13/12/2025 02:30 PM GMT +05:30



Sadara, Rajasthan, India 🇮🇳

R6c3+qc, Sadara, Rajasthan 305407, India

Lat 25.820846° Long 75.204781°

Saturday, 13/12/2025 02:31 PM GMT +05:30

O.A No. ¹⁷¹¹ 1145 OF 2024

NEERAJ CHOUDHARY
v/s

STATE OF RAJASTHAN

ANNEXURE - A-10

PEN DRIVE

गणपति डोन सर्विसेज

शॉप न. S-54 हाउसिंग बोर्ड टॉक

राकेश जोशी

8955779644

डोन सर्वे रिपोर्ट

आज दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को श्री भरत सिंह शेखावत के पक्ष में स्वीकृत बजरी खनन पट्टा तहसील केकड़ी जिला अजमेर का डोन सर्वे किया गया।

उक्त खनन पट्टे के राजस्व ग्राम-गुलगांव तहसील केकड़ी में आज दिनांक को निम्न अधिकारियों की मौजूदगी में डोन सर्वे किया गया।

1. उपखण्ड अधिकारी, सावर जिला अजमेर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB किशनगढ़, अजमेर।
3. तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर।
4. उप-अधीक्षक केकड़ी, जिला अजमेर।
5. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सावर।
6. खण्ड अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, केकड़ी, जिला अजमेर।

इस सर्वे में नयागांव, टांकावास, गुलगांव व सदर नदी क्षेत्र में डोन उड़ाया गया (निर्देशांक — N25°49'32" E75°12'19" से N25°48'50" E75°12'13" तक)।

जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. नदी के प्रवाह क्षेत्र में किसी प्रकार के ब्लॉक अवरोधक नहीं है।
2. नदी में कुछ क्षेत्रों में बरसाती पानी भरा हुआ है।
3. नदी क्षेत्र में स्थानीय वनस्पति उगी हुई है।
4. नदी क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं चल रहा है।

उक्त विवरण का विडियो व फोटोग्राफ जो उक्त अधिकारियों की मौजूदगी में बनाया गया रिपोर्ट के साथ संलग्न कर पेश है।

Rakesh Joshi
13/12/25
गणपति डोन सर्विसेज
शॉप नं. S-54 हाउसिंग बोर्ड टॉक

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर

दिनांक 13/12/25

क्रमांक/राजस्व/राजस्व/2025/1578

प्रेषित :- श्री भरतसिंह शेखावत
खनन पट्टा धारक 5/2023
गुलगांव

विषय :- खनन पट्टा संख्या 5/2023 श्री भरतसिंह शेखावत वास्ते खनिज बजरी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर के खनन पट्टा क्षेत्र में पत्थर/मलबा डालकर किये गये अतिक्रमण के संबंध में।

प्रसंग :- सहायक खनि अभियंता सावर के पत्रांक 451 दिनांक 25.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रांक की भू0अ0निरीक्षक गुलगांव व पट्टवारी हल्का गुलगांव से जांच करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा ग्राम गुलगांव के सिवायचक खसरा संख्या 3331/2102 रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि में से 0.07 हैक्टेयर भूमि पर ब्लॉक/पत्थर डालकर उक्त सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जवाब प्रस्तुत करें :-

1. आप द्वारा खारी नदी से पत्थर हटवाकर सरकारी भूमि में क्यों डाले गये व किसकी अनुमति से।
2. क्यों ना आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर उक्त पत्थरों का कब्जा राज लिया जावें।

उक्त बिन्दुओं का जवाब निर्धारित 03 दिवस में प्रस्तुत करे अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर कब्जा राजहक ले लिया जावेगा

क्रमांक/राजस्व/2025/1579

प्रतिलिपि :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सावर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(2) श्रीमान सहायक खनि अभियंता सावर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

तहसीलदार केकड़ी
दिनांक 13/12/25

तहसीलदार केकड़ी
तहसीलदार केकड़ी